For P.G. Sem-3 NON COOPERATION MOVEMENT
UNIT-II CC-13 (PART-2)

असहयोग आंदोलन (भाग-2)

खुफिया अधिकारी 'बैमफोर्ड' ने Histories of the Khilafat & Non-Cooperation Movement (1925) नामक गुप्त रिपोर्ट में बतलाया कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बहिष्कार का नगण्य प्रभाव पड़ा जबकि कॉलेजों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसी दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें 442 संस्थाएं बंगाल एवं उड़ीसा में, 190 बंगाल में, 189 बम्बई में और 137 सं.प्रा० में थी। इनमें से अनेक अल्पजीवी साबित हुई किंतु बहुत जीवित रही और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करती रही। इनमें अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ तथा बिहार विद्यापीठ प्रमुख है।

न्यायालयों के बहिष्कार में मामलों में देश के जाने-माने वकील जिसमें सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जयकर, राजगोपालचारी किचलु, बल्लभभाई पटेल, टी. प्रकाशम, अरूणा आसफ अली आगे थे, फिर भी मार्च 1921 तक वकालत छोड़नेवाले वकीलों की संख्या 180 थी। संख्या की दृष्टि से बंगाल पहले स्थान पर रहा जबकि आन्ध्रप्रदेश, उ.प्र०, कर्नाटक तथा पंजाब क्रमशः बाद के पायदान पर रहे। शैक्षणिक बहिष्कार की तरह इसे सफलता नहीं मिली।

1905-08 (स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन) की तुलना में आर्थिक बहिष्कार कहीं अधिक तीव्र और सफल रहा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों का आयात मूल्य 1920-21 के 102 करोड़ रुपया से गिरकर 1921-22 में 57 करोड़ रुपया रह गया। राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग पर जोर देने के कारण कपड़ा उद्योग को फायदा पहुँचा। ग्रामीण जनता तथा व्यापारी वर्ग ने इसे अपना समर्थन दिया जबकि मजदूरों के सामाजिक असंतोष के भय से पुरूषोत्तमदास ठाकुरदास, जमनालाल द्वारकादास कावसजी जहाँगीर, सीतलवाड जैसे बड़े व्यापारियों ने असहयोग आंदोलन की आलोचना की।

ताड़ी एवं शराब की दुकानों पर धरना का कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ, यद्यपि यह मूल कार्यक्रम का हिस्सा नथा। सरकार को इससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ।

(B) द्वितीय चरण (अप्रैल 1921 - जुलाई 1921) :-

इस चरण में सारा ध्यान तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपया एकत्रित करने, एक करोड़ सदस्य बनाने एवं चरखा बाँटने पर दिया गया। (D)

तिलक स्वराज्य फंड की राशि लक्ष्य से आगे निकल गई। सदस्यता लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ किंतु 50 लाख तक पहुँच गयी। खादी एवं चरखे का खूब प्रचार हुआ, खादी राष्ट्रीय पोशाक बन गयी। (i) (ii)

(C) तीसरा चरण (जुलाई - नवम्बर 1921)

असहयोग आंदोलन ने इस चरण में तमाम स्थानीय आंदोलनों को जन्म दिया और पहले से चले आ रहे आंदोलनों को बल प्रदान किया। कांग्रेस ने प्रदेश समितियों को इजाजत दी कि जब भी उन्हें लगे जनता कानून अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार है वे आंदोलन छेड़ सकती है। (iii)

(i) इस चरण में आंदोलन अधिक उग्र हो गया। बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के बहिष्कार पर जोर दिया गया।

(ii) इसी समय कराची खिलाफत सम्मेलन में मो० अली जिन्नाह ने घोषणा की कि किसी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। आगे गांधी एवं अन्य नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि हर भारतीय नागरिक एवं सैनिकों का कर्तव्य है कि वह दमनकारी सत्ता से नाता तोड़े।

(iii) गांधीजी ने स्वयंसेवकों को जेल भरने का आह्वान किया।

(iv) अवध में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा।

(v) केरल में (मालाबार) असहयोग एवं खिलाफत नेताओं ने खेतिहर मुसलमानों को, उनके भूस्वामियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए उकसाया। यहां आंदोलन उग्र हो गया एवं इसे साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप दे दिया गया।

(vi) असम में चाय-बगान के मजदूर हड़ताल पर चले गये।

(vii) आन्ध्र में वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ।

(viii) पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के खिलाफ आंदोलन छेड़ा।

(22)

(D) चतुर्थ चरण (नवम्बर 1921 - फरवरी 1922) :-

(i) दिसम्बर तक सरकार घोर दमन अपनाने को बाध्य हो गयी। कांग्रेस स्वयंसेवक संस्थें पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गाँधीजी को छोड़कर सी. आर. दास सहित प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये।

(ii) अहमदाबाद अधिवेशन (दिसम्बर 1921) में कांग्रेस ने आगे रणनीति तय करने की जिम्मेदारी गाँधीजी पर सौंप दी। गाँधीजी ने वायसराय से पत्र-व्यवहार किया परंतु सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। गांधीजी ने घोषणा की कि यदि सरकार नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा छेड़ने हेतु बाध्य हो जायेंगे।

(iii) गाँधीजी ने अंतत: बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया किंतु 5 Feb. 1922 को चौरी-चौरा के हिंसक कार्यवाही से बारदोली में प्रस्तावित आंदोलन को रोक दिया गया और 12 Feb. 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी-चौरा कांड के तहत सं. प्रा. के गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा गाँव में 3000 किसानों की कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई फलस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थानों पर हमला करके उसमें आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गये।

गाँधीजी के असहयोग आंदोलन स्थगन की घोषणा ने लम्बे विवाद को जन्म दिया। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने गांधीजी के इस निर्णय का तीव्र विरोध किया। सुभाषचन्द्र बोस ने इसे 'राष्ट्रीय संकट' कहा जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस निर्णय पर आश्चर्य एवं विलाप प्रकट किया। रजनीपाम दत्त के अनुसार, गाँधीजी सहित कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन को इसलिए वापस लिया कि उन्हें भय था कि आंदोलन इससे जनता में फैल जायेगा और वे जनता के आंदोलन से डरते थे क्योंकि इससे सम्पत्तिवाले वर्गों के हितों को भय था और वे स्वयं इस वर्ग से ही मिले हुए थे। जुडिथ ब्राउन के अनुसार आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो रहा था। गाँधीजी ने वापस लेकर वास्तविकता का परिचय दिया। वीर सावरकर ने कहा कि गाँधीजी ने स्वराज्य के उद्देश्य को खिलाफत के समक्ष गौण बना दिया।

वस्तुत: आंदोलन वापसी के पीछे गाँधीजी के मंतव्य को उनके

समस्त राजनीतिक चिंतन और रणनीति के सन्दर्भ में समझने जाने की जरूरत है। 16 Feb. को यंग इंडिया में गाँधी ने लिखा था अहिंसा उनके लिए परमावश्यक विश्वास है। वे अपमान, यातना, बहिष्कार और मृत्यु तक स्वीकार करने को तैयार थे ताकि आंदोलन अहिंसक न हो जाये। हिंसात्मक अनियंत्रित जनसमूह को नियंत्रित करना कठिन कार्य होता है। सरकार के लिए भी हिंसक आंदोलन की आड़ में दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिल जाता और इस तरह से अहिंसक असहयोग आंदोलन की रणनीति विफल हो जाती। अहिंसक आंदोलन की रणनीति यह थी कि दमनकारी सत्ता यदि इस अहिंसक आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करेगी तो उसका चरित्र बेनकाब हो जायेगा और पूरा जनमत उसके खिलाफ हो जायेगा। गाँधीजी के सन्दर्भ में आर.जी. दत्त कि यह स्वीकार कि आंदोलन स्थगन के पीछे जमींदारों के हितों की रक्षा अथवा लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव का डर काम कर रहा था, सही प्रतीत नहीं होता। दरअसल चौरी-चौरा की भीड़ पुलिस के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध हो गयी थी, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे ऐसा लगे कि वे जमींदारों के विरुद्ध थे या सम्पत्ति संबंधों को परिवर्तित करना चाहते थे। आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कर अदायगी न करने का आंदोलन तो असहयोग आंदोलन का ही हिस्सा था। यह सरकार के खिलाफ था और पूरी तरह अहिंसक था। गाँधीजी द्वारा आंदोलन स्थगन के पीछे एक और कारण था। 1921 के उत्तरार्द्ध से आंदोलन कमजोर पड़ने लगा था। छात्रों, वकीलों, व्यवसायी वर्ग की भागीदारी घट रही थी। कार्यकर्ता और सक्रिय राजनेता आंदोलन को आगे ले जाना चाहते थे किंतु जनांदोलन के लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। आंदोलन का लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका था और सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाह रही थी और ऐसे में इससे पहले की आंदोलन की कोई कमजोरियां उभर कर सामने आती और समर्पण की नौबत आती चौरी-चौरा कांड ने ससम्मान आंदोलन वापसी का मौका प्रदान किया। गाँधीजी की मंशा आंदोलन की ऊर्जा को बचाये रखने तथा जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। आखिरकार यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रथम देशव्यापी जनसंघर्ष का प्रयास था।

स्वराज्य के लक्ष्य को लेकर चला यह आंदोलन अपने लक्ष्य को

पाने के पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था इसका मतलब यह कतई नहीं कि यह आंदोलन पूर्णतः असफल रहा।

असहयोग आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को राजनीतिक मंच पर इकट्ठा किया। किसान, मजदूर, व्यापारी, व्यावसायी कर्मचारी, स्त्री-पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी लोग इसमें शामिल थे। वास्तव में यह जन आंदोलन था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक दायरा का विस्तार किया।

असहयोग आंदोलन ने जनसाधारण में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई। सरकार और जेल का भय आम जनता के मन से निकल गया।

इसने कांग्रेस को 'जन कांग्रेस' में तब्दील कर दिया। कांग्रेस अब मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं रही।

मालाबार की घटना के बावजूद इस आंदोलन में साम्प्रदायिक एकता बेमिसाल थी। हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की भावना इस आंदोलन में जो दिखाई दी वह बाद के वर्षों के लिए स्वप्न साबित हुई।

सबसे बढ़कर असहयोग (Non Cooperation) की राजनीति सफल साबित हुई। कोई भी विदेशी सरकार स्थानीय लोगों की सैच्छिक - अनैच्छिक सहयोग से चलती है, यदि यह सहयोग वापस ले लिया जाये, तो कम से कम सरकार का सम्पूर्ण ढाँचा सिद्धांततः अवश्य लड़खड़ा जाएगा। सरकार पर दबाव डालने का यह सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका था। यही कारण था कि असहयोग का कार्यक्रम और गाँधीजी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया।

—y—